

0.	NO.	DATE
1	2	02.02.2017
2	4	

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 199/2024

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

गुरतेज सिंह पुत्र हकीक सिंह (फौत)

1/1 अमरजीत कौर पत्नी गुरतेज सिंह

1/2 जलकौर पत्नी गुरतेज सिंह

1/3 गगन दीप कौर पुत्री गुरतेज सिंह

जाति समस्त जटसिख.नि.मोरजण्ड सिखान तह.संगरिया

वादीगण

बनाम

समस्त जाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

समस्त जाति कुम्हार साकिन मोरजण्ड सिखान
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

-प्रतिवादीगण


दिनांक :- 30.01.2024

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री संतोष गोदारा वकील वादीगण मिन जाभिन मुदई श्री..... वकील प्रतिवादी.....मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ. संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 11 एमजेडी

1. अमरजीतकौर पत्नी गुरतेज सिंह, जलकौर पत्नी गुरतेज सिंह, गगनदीप कौर पुत्री गुरतेज सिंहजाति जटसिख साकिन मोरजण्ड सिखान की कब्जा काशत भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
139/178	17	18,19,20/0.759 है.


न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/53 दिनांक 05.01.2026 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- तहसीलदार राजस्व संगरिया के अनुशंषा के आधार प.न. 138/184 मु.न. 54 किला नम्बर 10/2/0.025, 11/2/0.025, 20/2/0.025 है प्रत्येक को 1 नम्बर खाता में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया